मंत्रिपरिषद के निर्णय

दिनांक : 18 नवंबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

1. मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने ''छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026'' के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

   इसके अंतर्गत पूर्व में लागू वर्ष 2024 के नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। नवीन नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होगा। विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।

   वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये 'मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि' दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

   राज्य सरकार के इस निर्णय से छोटी ग्राम पंचायतों पर न केवल आर्थिक भार कम होगा, साथ ही ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

2. मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026–27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी तथा उनके शैक्षणिक एवं सामाजिक–आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

3. मंत्रिपरिषद की बैठक में राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर अर्थात 24,090 वर्गफीट भूमि आबंटित की जाएगी। नवीन सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा एवं पुनर्वास की सुविधाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

4. मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आबंटन का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मण्डल को आबंटित की जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल के संभागीय कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को मण्डल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।

———000———